FORM NO.III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू

सेशन प्रकरण संख्या- 52/2021 (CIS 41/2020)

सरकार बनाम अरविन्द झाझड़िया वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.05.2026	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण मंजीत, अरविन्द, रवि बलौदा के जे.सी. वारण्ट जरिए ई–मेल प्राप्त हुए। अभियुक्तगण जेसी से जरिए वीसी उपस्थित। अभियुक्त देशबंधू का प्रोडक्शन वारण्ट प्राप्त हुआ, जिस पर रिपोर्ट आई है कि अभियुक्त देशबंधू को दिनांक 21.05.2026 से 26.05.2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। अभियुक्त देशबंधू की हाजरी माफी की दरख्वास्त पेश हुई जो केवल आज के लिए स्वीकार की जाती है। वारण्ट पर नोट लगाया जायें कि अभियुक्त के जेल में पुनः दाखिल होने पर जरिए प्रोडक्शन वारण्ट 29.05.2026 को पेश किया जावें। अभियुक्त हितिक प्रकरण में मफरूर है। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित जिसका हाजरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया गया, शामिल रहें। बहस अंतिम हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में अवसर दिया जाता है। प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में 19वें नंबर पर शुमार है, जिसका शीघ्र निस्तारण अपेक्षित है। उभय पक्षकारान आईंदा पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते **बहस अंतिम दिनांक 29.05.2026** को पेश हो। तब तक अभियुक्तगण अरविन्द, मंजीत, रवि बलौदा की जे.सी. अवधि बढ़ाई जाती है। **अपर सेशन न्यायाधीश,** **संख्या 1, झुंझुनूं।**	